

एन.सिंहा

अनुमोदन हेतु प्रारूप  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

Type Section पत्रांक-प्र०-7/विविध-82/2017-

7012 (E)w

/पटना, दिनांक 11/12/17

शुद्धी प्रेषक,  
व्यापारिक प्राप्त करने उपर्युक्त प्रतीतिवाचक सेवा में,  
सूत्री  
08-12-17

लक्ष्मी नारायण दास,  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह-विशेष सचिव,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)।  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।  
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)।  
पथ निर्माण विभाग  
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)।  
पथ निर्माण विभाग

विषय :-

अन्य विभागों के संवेदकों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में उत्क्रमित किये जाने के पश्चात् निरस्त किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निम्न संवेदकों के निबंधन को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में उत्क्रमित किये जाने के पश्चात् निरस्त किये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :-

क्र० सं०	संवेदक का नाम/	विभाग का नाम	ज्ञापांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1.	मेसर्स आस्था एण्ड सौम्या कं०, पार्टनर-श्री सुनील कुमार, ग्राम+पो०-भैरवार, जिला-बेगूसराय पिन-851129	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-3961 दि०-08.11.2017 (छायाप्रति संलग्न)	नि०सं०-अभि०प्र०ज०सं०वि०/श्रेणी-द्वितीय, 90/2015 को प्रथम श्रेणी में उत्क्रमित किये जाने के फलस्वरूप द्वितीय श्रेणी के निबंधन को निरस्त किया गया।
2.	तिरूपति कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, 270, सेक्टर-4, धारुहेरा, जिला-रेवाड़ी, (हरियाणा)	भवन निर्माण विभाग	ज्ञापांक-9972 (भ) दि०-10.11.2017 (छायाप्रति संलग्न)	नि०सं०-द्वितीय (फर्म)-173 (भवन)/2014 को प्रथम (01) श्रेणी में उत्क्रमित किये जाने के फलस्वरूप द्वितीय श्रेणी के निबंधन को निरस्त किया गया।
3.	श्री शशि कान्त चौधरी, ग्राम-बेलाउर, पो०-बेलाउर, जिला-भोजपुर पिन कोड-802206	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-3962 दि०-08.11.2017 (छायाप्रति संलग्न)	नि०सं०-अभि०प्र०ज०सं०वि०/श्रेणी-द्वितीय, 101/2013 को निरस्त किया गया।
4.	श्री संजीव कुमार ओझा, ग्राम-सरैया, वाई नं०-13, पो०+जिला-गोपालगंज, पिन कोड-841428	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-3801 दि०-24.10.2017 (छायाप्रति संलग्न)	नि०सं०-अभि०प्र०ज०सं०वि०/श्रेणी-80/2013 (तृतीय) को निरस्त किया गया।
5.	श्री विष्णु विराट इन्टरप्राइजेज, प्रो०-श्री सुजीत कुमार, ग्राम-नवीनगर, टण्डवा रोड, पो०-नवीनगर, जिला-औरंगाबाद, पिन-824301	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-3854 दि०-31.10.2017 (छायाप्रति संलग्न)	नि०सं०-अभि०प्र०ज०सं०वि०/श्रेणी तृतीय- 36/2017 को निरस्त किया गया।
6.	श्री जगमोहन खिरहर, ग्राम-अमधट्टा, पो०-अमधट्टा, जिला-सीतामढ़ी, पिन-843302	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-3855 दि०-31.10.2017 (छायाप्रति संलग्न)	नि०सं०-अभि०प्र०ज०सं०वि०/श्रेणी 238/2016 (तृतीय श्रेणी) को द्वितीय श्रेणी में उत्क्रमित किये जाने के फलस्वरूप तृतीय श्रेणी के निबंधन को निरस्त किया गया।

Syda

P. T. O.

7	रामा इन्टरप्राइजेज, प्रो०-श्रीमती रामा देवी, ग्राम-सूरो, पोस्ट-बछवाड़ा, जिला-बेगूसराय, पिन-851111	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-3960 दि०-08.11.2017 (छायाप्रति संलग्न)	नि०सं०-अभि०प्र०ज०सं०वि०/श्रेणी तृतीय- 180/2016 को निरस्त किया गया।
8	श्री अजय कुमार सिंह, ग्राम-चरकोवा रोड पोस्ट-रफीगंज, जिला-औरंगाबाद, पिन-824114	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-3852 दि०-31.10.2017 (छायाप्रति संलग्न)	नि०सं०-अभि०प्र०ज०सं०वि०/श्रेणी 4/2017 (अनियोजित अभियंता) को निरस्त किया गया।
9	श्री रंजन कुमार, पिता-श्री भुवनेश्वर प्रसाद गुप्ता, वीरपुर, वार्ड नं०-08, मस्जिद रोड वीरपुर, जिला-सुपौल, पिन-854340	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-3825 दि०-30.10.2017 (छायाप्रति संलग्न)	नि०सं०-अभि०प्र०ज०सं०वि०/श्रेणी अनियोजित अभियंता (14/15) को निरस्त किया गया।
10	श्री सतीश कुमार, ग्राम/मु०-गोबरसही, प्रोफेसर कॉलनी, रोड नं०-01, पो०-भगवानपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, पिन-842001	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-3344 दि०-11.09.2017 (छायाप्रति संलग्न)	नि०सं०-अभि०प्र०ज०सं०वि०/श्रेणी -181/2015 (तृतीय श्रेणी) को द्वितीय श्रेणी में उत्क्रमित किये जाने के फलस्वरूप तृतीय श्रेणी के निबंधन को निरस्त किया गया।
11	श्री गणेश पाण्डेय, पिता-ठाकुर पाण्डेय, ग्राम-जवड़निया, पो०-दामोदरपुर, थाना-शाहपुर, जिला-भोजपुर, पिन-802166, बिहार	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	ज्ञापांक-2129 दि०-31.08.2017 (छायाप्रति संलग्न)	नि०सं०-103/2015 श्रेणी-III (तृतीय) को द्वितीय श्रेणी में उत्क्रमित किये जाने के फलस्वरूप तृतीय श्रेणी के निबंधन को निरस्त किया गया।
12	श्री परमानन्द यादव, पिता-स्व० तारिणी प्रसाद यादव, ग्राम-कामदेवडीह, पो०-कामदेवडीह, थाना-फटोरिया, जिला-बांका, पिन-813106	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	ज्ञापांक-2276 दि०-12.09.2017 (छायाप्रति संलग्न)	नि०सं०-186/2014 श्रेणी-III (तृतीय) को द्वितीय श्रेणी में उत्क्रमित किये जाने के फलस्वरूप तृतीय श्रेणी के निबंधन को निरस्त किया गया।
13	श्री आलोक कुमार सिंह, ग्राम-तुर्की, पो०-कनियारी, थाना-दिनारा, प्रखंड-दिनारा, अंचल-विक्रमगंज, जिला-रोहतास (बिहार)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	ज्ञापांक-2265 दि०-11.09.2017 (छायाप्रति संलग्न)	नि०सं०-45/2015 श्रेणी-II (द्वितीय) को प्रथम श्रेणी में उत्क्रमित किये जाने के फलस्वरूप द्वितीय श्रेणी के निबंधन को निरस्त किया गया।
14	श्री राजगृही सिंह, पिता-स्व० राम छवीला सिंह, बिरला बिहार के पास रानीबगान, वरियातु, राँची झारखंड-834009	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	ज्ञापांक-2263 दि०-11.09.2017 (छायाप्रति संलग्न)	नि०सं०-46/2015 श्रेणी-II (द्वितीय) को प्रथम श्रेणी में उत्क्रमित किये जाने के फलस्वरूप द्वितीय श्रेणी के निबंधन को निरस्त किया गया।
15	मो० शहिद सलीम, मोलवी टोला, मधुबनी, थाना-के० हाट, जिला-पूर्णिया, बिहार	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	ज्ञापांक-2278 दि०-12.09.2017 (छायाप्रति संलग्न)	नि०सं०-176/2015 श्रेणी-III (तृतीय) को द्वितीय श्रेणी में उत्क्रमित किये जाने के फलस्वरूप तृतीय श्रेणी के निबंधन को निरस्त किया गया।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह-विशेष सचिव

/पटना, दिनांक.....11/12/17

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-7/विविध-82/2017-

7012(E)

प्रतिलिपि :-अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को अनुलग्नक एवं  
CD सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।